केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/121 दिनांक: 17.04.2017
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00115

अपीलकर्ता : श्री सतेन्द्र कुमार, पुत्र – श्री विष्णु सिंह,
गांव व पो0 – बामनौली, जिला – बागपत,
उत्तर प्रदेश – 250620.

निर्णय की तारीख : 17.04.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	16.11.2016
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	सूचना प्रदान नहीं की गई
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	---
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	27.12.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	100709/04.01.2017
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	130/07.04.2017

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आरक्षण से संबंधित सूचनाएं मांगी थी । अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन के माध्यम से आरोप लगाया है कि उन्हें वांछित सूचना प्रदान नहीं की गई है ।

2. अपीलकर्ता का दिनांक 27.12.2016 का यह प्रथम अपीली जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग में दिनांक 04.01.2017 को डायराइज हुआ तथा डाक अनुभाग द्वारा भूलवश किसी अन्य अनुभाग को अग्रसारित हो जाने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 07.04.2017 को प्राप्त हुआ । संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता का उक्त आर.टी.आई. आवेदन आयोग के डाक अनुभाग द्वारा भूलवश किसी अन्य अनुभाग को अग्रसारित हो जाने के कारण आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 07.04.2017 को प्राप्त हुआ, जिसे श्री श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ द्वारा अधिनियम की धारा 6(3) के तहत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को ऑनलाइन आर.टी.आई. – एम.आई.एस. द्वारा दिनांक 11.04.2017 को अग्रसारित कर दिया गया है तथा इसकी सूचना अपीलकर्ता को भी दिनांक 12.04.2017 को पत्र सं. CICOM/R/2017/00386 द्वारा दी जा चुकी है

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

O/C

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

C.I.C.
RECEIVED
18 APR 2017
Initials: